

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या का राज्यवार तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल, प्राध्यापक वाणिज्य संकाय,
स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

(Received -15 August 2025/Revised-25 August 2025/Accepted-10 September 2025/Published-30 September 2025)

प्रस्तावना :

किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिये उस देश का ग्रामीण विकास होना परम आवश्यक है। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मूलतः कृषि, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। इसलिये जबतक गांवों में सड़कों की उचित एवं संतुलित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है।

इस कड़ी में गांवों के विकास में तेजी लाने एवं गांवों के बुनियादी ढाँचे को तैयार करके उन्हें हर तरीके से उन्नत बनाने के लिये भारत सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यनीति के अंतर्गत राज्यों की सहायता करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से नहीं जुड़ी हुई पात्र बसावटों को पूरे वर्ष चालू रहने वाले आवश्यक पुल और आर-पार निकासी संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क सुविधा के जरिये सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में गांवों की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध हुई है।

वर्ष 2000 से प्रारंभ यह योजना वर्तमान में अपने चतुर्थ चरण में निरंतर गतिशील होकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक नया आयाम देने में कटिबद्ध है। दिसम्बर 2024 तक यह योजना अपने तीन चरणों को पूर्ण कर चुकी है।

अध्ययन का क्षेत्र व अवधि :

प्रस्तुत शोध कार्य भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में योजनान्तर्गत सड़कों व पुलों के निर्माण से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण दिसम्बर 2024 तक पूर्ण हो चुके हैं। शोधकर्ता ने इस शोधपत्र में तीनों चरणों के लगभग 24 वर्षों के समकों को समाहित करके विश्लेषण का कार्य किया है। यह समंक योजना के प्रारंभ होने अर्थात् दिसम्बर 2000 से लेकर तृतीय चरण समाप्त होने अर्थात् दिसम्बर 2024 तक के संग्रहित किये गये हैं।

अध्ययन प्रणाली :

यह अध्ययन द्वितीयक समकों पर आधारित है, जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इस योजना की नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित लगभग 20 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों से संग्रहित किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 24 वर्षों के समकों का तुलनात्मक विश्लेषण राज्यवार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आधार पर किया गया है जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र व दण्ड चित्रों जैसी सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित परिणाम ज्ञात किये गये हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोधपत्र में इस बात का अध्ययन किया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित संघों द्वारा स्वीकृत सड़कों व पुलों की तुलना में निर्मित की गई सड़कों व पुलों के प्रयास

कितने सार्थक रहे हैं। वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया गया है: -

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में राज्यवार/संघवार कितनी संख्या में सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया।
2. स्वीकृत सड़कों व पुलों की संख्या के अनुपात में राज्यवार/संघवार कितनी सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
3. योजना के माध्यम से अपने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने में कौन-कौन से राज्य अग्रणी भूमिका में रहे तथा कौन से राज्य पीछे रहें।
4. योजनान्तर्गत तीनों चरणों में से किस चरण में सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य अधिक हुआ तथा किस चरण में निर्माण कार्य कम हुआ।

परिणाम एवं विवेचना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में स्वीकृत व निर्मित की गई सड़कों/पुलों की संख्या का विश्लेषण :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रथम चरण (दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2013 तक), द्वितीय चरण (मई 2013 से अक्टूबर 2019 तक) तथा तृतीय चरण (नवम्बर 2019 से दिसम्बर 2024 तक) में स्वीकृत सड़कों व पुलों की संख्या तथा निर्मित की गई सड़कों व पुलों की संख्या को शोधकर्ता ने वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर तालिका क्रमांक 7.1 में विश्लेषित किया है।

चूंकि तीनों चरणों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरन्तर कार्य किया गया है। इसलिए प्रथम चरण में स्वीकृत किये गये सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य अगले चरणों में पूर्ण होने पर भी उन्हें प्रथम चरण के अन्तर्गत ही पूर्ण हुआ माना गया है। इसी

प्रकार द्वितीय चरण में स्वीकृत किये गये सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य अगले चरण में पूर्ण होने पर भी उन्हें द्वितीय चरण के अंतर्गत ही पूर्ण हुआ माना गया है ।

इस प्रकार तीनों चरणों में तथा आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अन्तर्गत स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या को दिनांक 31-12-2024 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति को शोधकर्ता ने निम्न तालिका में वर्णन करते हुए प्रतिशत के आधार पर यह विश्लेषित करने का प्रयास किया है कि तीनों चरणों में से किस चरण में सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य कितना हुआ है ।

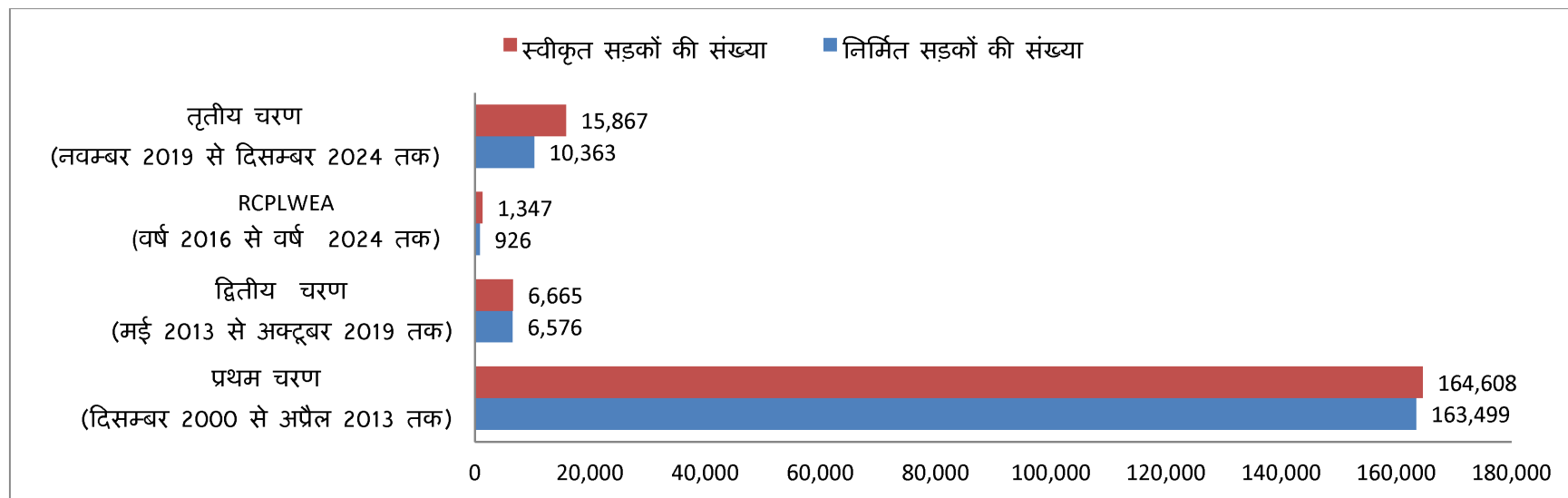
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

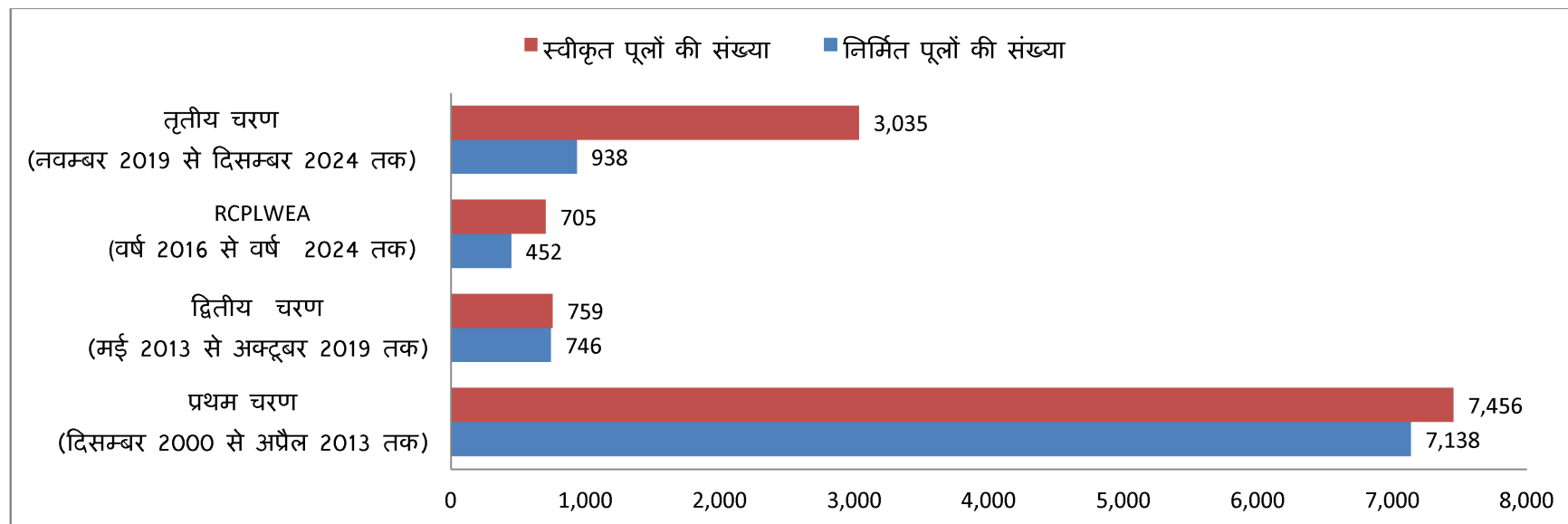
तालिका क्र. 7.1

तीनों चरणों में स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पुलों की स्थिति (31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार)

चरण	स्वीकृत सड़कें एवं पुल			निर्मित सड़कें एवं पुल			प्रतिशत		
	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	योग	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	योग	सड़कों की	पुलों की	योग
प्रथम चरण (दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2013 तक)	1,64,608	7,456	1,72,064	1,63,499	7,138	1,70,637	99.33	95.73	99.17
द्वितीय चरण (मई 2013 से अक्टूबर 2019 तक)	6,665	759	7,424	6,576	746	7,322	98.66	98.29	98.63
RCPLWEA (वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक)	1,347	705	2,052	926	452	1378	68.75	64.11	67.15
तृतीय चरण (नवम्बर 2019 से दिसम्बर 2024 तक)	15,867	3,035	18,902	10,363	938	11,301	65.31	30.91	59.79
योग	1,88,487	11,955	2,00,442	1,81,364	9,274	1,90,638	96.22	77.57	95.11

स्रोत: - वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्रमांक 396 से 400





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रही है। योजना के तीनों चरणों में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कुल 1,88,487 सड़कें स्वीकृत की गई जिसमें से 1,81,364 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। प्रतिशत के आधार पर यह लगभग 96% के बराबर है अर्थात् प्रत्येक 100 स्वीकृत सड़कों में से 96 सड़कें इस योजना के अन्तर्गत निर्मित हुई है। इसी प्रकार तीनों चरणों में कुल 11,955 पुलों की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की गई, जिसमें से 9,274 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। प्रतिशत के आधार पर यह लगभग 78% के बराबर है अर्थात् प्रत्येक 100 स्वीकृत पुलों में से 78 पुल इस योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए हैं।

यदि तीनों चरणों का अलग-अलग विश्लेषण करे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय चरणों में स्वीकृत सड़कों व पुलों की संख्या के अनुपात में निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 99 एवं 98 रहा है। उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों के 44 जिलों (RCPLWEA के अंतर्गत) में तथा तृतीय चरण में स्वीकृत सड़कों व पुलों की संख्या के अनुपात में निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 67 एवं 60 रहा है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत सभी सड़कें व पुल लगभग पूर्णता की स्थिति में हैं जो इस योजना की उपयोगिता, लाभदायकता एवं तीव्र विकास की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। उग्रवाद से प्रभावित जिलों एवं तृतीय चरण में स्वीकृत सड़कें व पुल भी आने वाले वर्षों में पूर्ण होने की स्थिति तक पहुंच सकती हैं। योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में पहली बार बनाई गई सड़कें, उन्नयन वाली सड़कें व मरम्मत तथा रखरखाव वाली सड़कें सभी शामिल हैं।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में स्वीकृत व निर्मित की गई सड़कों/ पुलों की संख्या का राज्यवार विश्लेषण :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित संघ राज्यों में स्वीकृत की गई सड़कों व पुलों की संख्या में अनुपात में निर्मित की गई सड़कों व पुलों की संख्या को शोधकर्ता ने वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के आधार पर तालिका क्र. 7.2 में विश्लेषित किया है।

इस विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य उद्घाटित हो सकेगा कि भारत के सभी राज्यों में से इस योजनान्तर्गत सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं तथा उनके क्रमों का निर्धारण भी आंकड़ों के आधार पर हो सकेगा। साथ ही योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा में सड़कों का निर्माण, उन्नयन और रख-रखाव करने हेतु किन राज्यों ने अपनी पूर्ण क्षमता व जिम्मेदारी का निर्वहन करके थ्रू - रूटों व ग्रामीण लिंक रूटों को समृद्ध व गतिशील बनाने की संकल्पना को साकार करके दिखाया है।

इस प्रकार तीनों चरणों के साथ ही आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अन्तर्गत स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या को दिनांक 31-12-2024 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वास्तविक कार्यान्वयन की स्थिति को शोधकर्ता ने निम्न तालिका में वर्णन करते हुए प्रतिशत के आधार पर यह भी विश्लेषित करने का प्रयास किया है कि तीनों चरणों में देश के सभी राज्यों में से किन-किन राज्यों ने सर्वाधिक सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है तथा कौन से राज्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने में पीछे रह गये हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

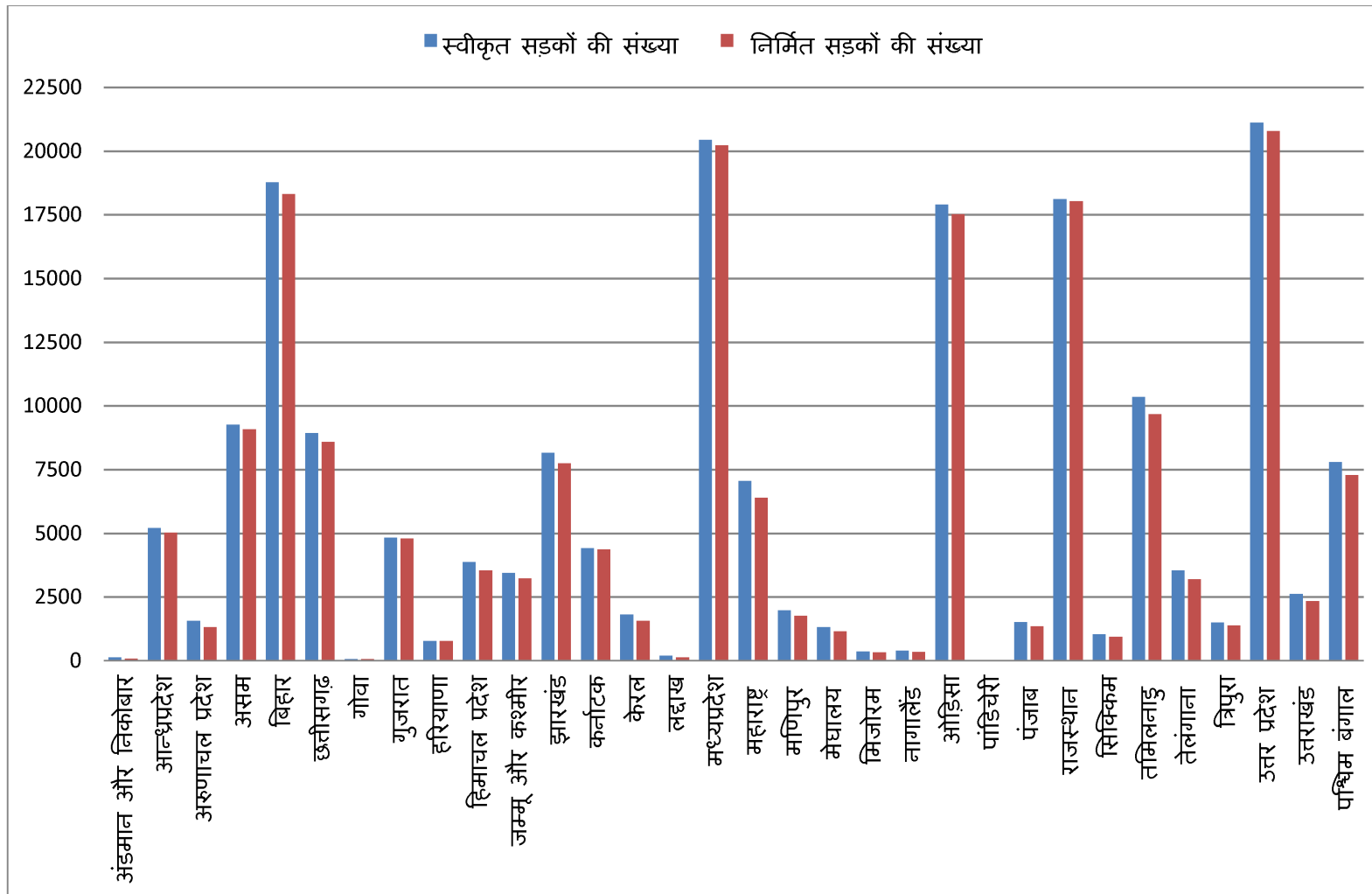
तालिका क्र. 7.2

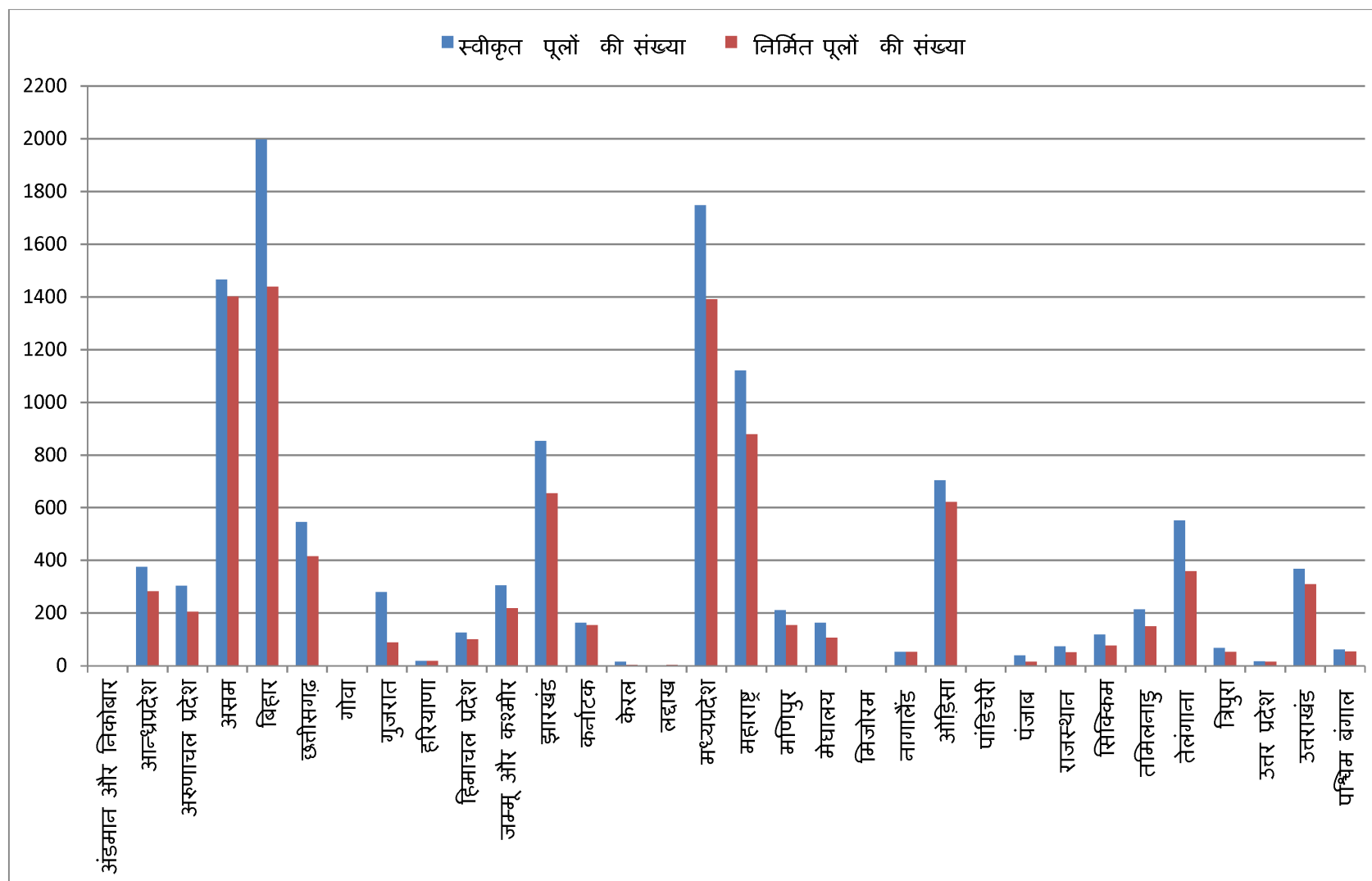
तीनों चरणों में स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या का राज्यवार विवरण (31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार)

स. क्र.	राज्य का नाम	स्वीकृत				निर्मित				प्रतिशत
		सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	योग	क्रम	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	योग	क्रम	
1	अंडमान और निकोबार	134	0	134	30	78	0	78	30	58.21
2	आन्ध्रप्रदेश	5,210	375	5,585	12	5,034	283	5,317	12	95.2
3	अरुणाचल प्रदेश	1,558	303	1,861	20	1,324	205	1,529	21	82.16
4	असम	9,269	1,466	10,735	06	9,074	1,401	10,475	06	97.58
5	बिहार	18,771	1,997	20,768	03	18,306	1,438	19,744	03	95.07
6	छत्तीसगढ़	8,929	546	9,475	08	8,582	416	8,998	08	94.97
7	गोवा	70	0	70	31	70	0	70	31	100.00
8	गुजरात	4,826	279	5,105	13	4,795	89	4,884	13	95.67
9	हरियाणा	773	18	791	26	768	18	786	26	99.37
10	हिमाचल प्रदेश	3,877	126	4,003	16	3,540	100	3,640	15	90.93
11	जम्मू और कश्मीर	3,437	305	3,742	17	3,232	218	3,450	17	92.20
12	झारखंड	8,151	853	9,004	09	7,752	654	8,406	09	93.36
13	कर्नाटक	4,416	163	4,579	14	4,362	154	4,516	14	98.62
14	केरल	1,807	15	1,822	21	1,566	4	1,570	20	86.17
15	लद्दाख	191	03	194	29	134	3	137	29	70.62
16	मध्यप्रदेश	20,436	1,748	22,184	01	20,231	1,391	21,622	01	97.47

17	महाराष्ट्र	7,047	1,120	8,167	10	6,389	879	7,268	11	88.99
18	मणिपुर	1,969	211	2,180	19	1,765	154	1,919	19	88.03
19	मेघालय	1,316	163	1,479	24	1,146	106	1,252	24	84.65
20	मिजोरम	368	0	368	28	327	0	327	28	88.86
21	नागालैंड	401	53	454	27	343	53	396	27	87.22
22	ओडिसा	17,897	703	18,600	04	17,516	622	18,138	04	97.52
23	पांडिचेरी	31	0	31	32	30	0	30	32	96.77
24	पंजाब	1,508	39	1,547	23	1,355	16	1,371	23	88.62
25	राजस्थान	18,123	73	18,196	05	18,037	51	18,088	5	99.41
26	सिक्किम	1,040	118	1,158	25	935	77	1,012	25	87.39
27	तमिलनाडु	10,352	214	10,566	07	9,683	150	9,833	07	93.06
28	तेलंगाना	3,545	551	4,096	15	3,201	359	3,560	16	86.91
29	त्रिपुरा	1,503	68	1,571	22	1,375	53	1,428	22	90.90
30	उत्तर प्रदेश	21,123	17	21,140	02	20,784	16	20,800	02	98.39
31	उत्तराखंड	2,620	367	2,987	18	2,344	310	2,654	18	88.85
32	पश्चिम बंगाल	7,789	61	7,850	11	7,286	54	7,340	10	93.50
	योग	1,88,487	11,955	2,00,442	-	1,81,364	9,274	1,90,638	-	95.11
	प्रतिशत	100%	100%	100%	-	96.22	77.57	95.11	-	-

स्रोत: - वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्रमांक 396 से 400





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में, (दिसम्बर 2000 से दिसम्बर 2024 तक) लगभग 24 वर्षों में, सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित संघों में कुल 2,00,442 सड़कों व पुलों (1,88,487 सड़के व 11,955 पुल) की संख्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में स्वीकृत की गई थी जिसमें से 1,90,638 सड़कों व पुलों (1,81,364 सड़के व 9,274 पुल) की संख्या का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत हो चुका है। यह कुल स्वीकृत सड़कों व पुलों की संख्या का लगभग 95% भाग है।

सड़कों की संख्या के निर्मित होने का प्रतिशत लगभग 96%, एवं पुलों की संख्या के निर्मित होने का प्रतिशत लगभग 78 प्रतिशत रहा है। यह स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आवश्यकता, उपयोगिता, सफलता व ग्रामीणों क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है। संक्षेप में यह कहाँ जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में स्वीकृत 100 सड़कों व पुलों के निर्माण के अनुपात में विभाग द्वारा 95 सड़कों व पुलों की संख्या का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसमें सड़कों की संख्या का अनुपात 96 व पुलों की संख्या का अनुपात 78 रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इस योजना अंतर्गत देश के सभी 32 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पुलों की स्वीकृत संख्या के अनुपात में निर्मित की गई सड़कों व पुलों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने वाले 10 राज्यों का क्रम इस प्रकार रहा है:-

- (1) मध्यप्रदेश ने 21,622 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (2) उत्तरप्रदेश ने 20,800 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (3) बिहार ने 19,744 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (4) ओड़िसा ने 18,138 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (5) राजस्थान ने 18,088 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (6) असम ने 10,475 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।

- (7) तमिलनाडु ने 9,833 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (8) छत्तीसगढ़ ने 8,998 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (9) झारखंड ने 8,406 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- (10) पश्चिम बंगाल ने 7,340 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।

इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत सबसे कम सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार रहा है:-

1. पांडिचेरी ने मात्र 30 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
2. गोवा ने मात्र 70 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
3. अंडमान व निकोबार ने मात्र 78 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
4. लद्दाख ने मात्र 137 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
5. मिजोरम ने मात्र 327 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
6. नागालैंड ने मात्र 396 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
7. हरियाणा ने मात्र 786 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
8. सिक्किम ने मात्र 1,012 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
9. मेघालय ने मात्र 1,252 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।
10. पंजाब ने मात्र 1,371 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया है।

शेष बचे 12 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का क्रम 11 से 22 के बीच रहा है। इनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर, केरल, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा।

इस प्रकार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों व पुलों की निर्मित कुल संख्या 1,90,638 में से लगभग 75% भाग (अर्थात् 1,43,444) तो सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने वाले उपर्युक्त 10 राज्यों में ही निर्मित हुए हैं। इसके अतिरिक्त सबसे कम सड़कों व पुलों का निर्माण करने वाले उपर्युक्त 10 राज्यों में मात्र 03% भाग (अर्थात् 5,459) ही सड़कों व पुलों की संख्या का निर्माण हुआ है। शेष बचे 12 राज्यों में जिनका

क्रम 11 से 22 के बीच है जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनमें कुल निर्मित सड़कों व पुलों की संख्या 1,90,638 की तुलना में लगभग 22% भाग (अर्थात् 41,735) सड़कों व पुलों की संख्या का निर्माण हुआ है।

निष्कर्ष :

अध्ययन के अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत तीन चरणों में (वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक) स्वीकृत 100 सड़कों व पुलों के निर्माण के अनुपात में 95 सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इसमें सड़कों की संख्या का अनुपात 96 व पुलों की संख्या का अनुपात 78 रहा है। योजनान्तर्गत सर्वाधिक संख्या में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पुलों की संख्या का निर्माण करवाने वाले अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, बिहार तृतीय स्थान पर, ओड़िशा चतुर्थ स्थान पर तथा राजस्थान पांचवें स्थान पर रहा है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पुलों की संख्या का निर्माण करवाने में सबसे पिछड़े रहे राज्यों/संघों में गोवा, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार, लद्दाख तथा मिजोरम रहे हैं।

संदर्भ सूची :

1. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. विजय कुमार दीक्षित, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. प्रीति जैन, सत्यम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
5. www.pmsgy.online.nic.in
6. www.omms.nic.in